

नेपालगर दिनांक 07/09/2022

**स्टेशनरी क्रय हेतु निविदा – सत्र 2022-23**


मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल के निर्देशानुसार सत्र 2022-23 में अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय योजनान्तर्गत स्टेशनरी वितरण हेतु राशि रूपये 500/- (पाँच सौ) प्रति विद्यार्थी की दर से स्टेशनरी सेट क्रय हेतु भाव पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य तथा फर्म के प्रिंटेड लेटर पेड पर निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए। अपठनीय एवं अपूर्ण भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस हेतु आप अपने भाव पत्र सील बंद लिफाफे में विभागीय वेबसाईड के प्रकाशन के 10 दिवस में कार्यालयीन समय में महाविद्यालय में स्वयं/ कोरियर/ स्पीडपोस्ट द्वारा भेज सकते हैं, निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।


**निर्धारित प्रपत्र – निःशुल्क स्टेशनरी क्रय हेतु संभावित क्रय सामग्रियों की सूची**

क्रं.	स्टेशनरी सामग्री का नाम	दर प्रति नग	जीएसटी	कुल राशि
1	रजिस्टर लॉग ए-4 साईज 240 पृष्ठ (236 पृष्ठ- 4 पृष्ठ-कवर) 57 जीएसएम पेपर, ऑरियेन्ट पेपर सफेद, लेमिनेटेड कवर सहित			
2	रजिस्टर लॉग ए-4 साईज 152 पृष्ठ (148 पृष्ठ- 4 पृष्ठ-कवर) 57 जीएसएम पेपर, ऑरियेन्ट पेपर सफेद, लेमिनेटेड कवर सहित			
3	स्टेपलर मीडियम साईज (कंगारू ब्राड 10 नम्बर)			
4	स्टेपलर पिन (कंगारू ब्राड 10 नम्बर)			
5	स्टील स्केल 12 इंच			
6	बॉल पेन फाइन ग्रीप (रेनाल्डस कम्पनी/मोन्टेक्स/सेलो)			
7	पेन्सिल एचबी, 2एच (नटराज कम्पनी)			
8	रबर (नटराज कम्पनी)			
9	केल्क्यूलेटर मीडियम साईज (सीटिजन कम्पनी)			
10	फाईल बेग प्लास्टिक बटन वाला सुपीरियर क्वालिटी			
11	कॉलेज स्टुडेंट बैग			

**शर्त :-**

- निविदा के साथ राशि रूपये 5000/- सुरक्षा निधि महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
- भाव पत्र स्पष्ट एवं सुवाच्य होना चाहिए अन्यथा विचार करना संभव नहीं होगा।
- निर्धारित समय सीमा पश्चात् प्राप्त भाव पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- सील बंद लिफाफ पर स्टेशनरी हेतु निविदा सत्र 2022-23 आवश्य लिखें।
- निर्धारित फार्मेट में भाव पत्र दें अन्यथा विचार करना असंभव होगा।
- समय सीमा तथा आदेशानुसार स्टेशनरी प्रदाय नहीं करने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा एवं सुरक्षा निधि राशि वापस नहीं की जावेगी।
- भाव पत्र स्वीकृत तथा अस्वीकृत करना प्राचार्य के निर्णयाधीन एवं अंतिम मान्य होगा।
- भाव पत्र के साथ स्टेशनरी का एक सेट ग्रंथालय में सम-सामायिक निरीक्षण हेतु बतौर नमूना प्रदाय करना होगा। उक्त सेट के अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
- प्रदाय सामग्री का प्रिन्टेड मूल्य से अधिक मूल्य मान्य नहीं होगा, अन्य प्रकार से अंकित मूल्य अस्वीकार होंगे।
- भाव पत्र में जीएसटी नम्बर का उल्लेख अनिवार्य है एवं कोटेशन में जी.एस.टी राशि अंकित होनी चाहिए।
- सामग्री एफ.ओ.आर शासकीय महाविद्यालय नेपालगर, शासकीय महाविद्यालय खकनार, शासकीय महाविद्यालय धुलकोट होगा।
- भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा किया जायेगा, इस हेतु फर्म के नाम का बैंक खाता क्रमांक आई.एफ.एस.सी कोड एवं बैंक का नाम देयको में अंकित करना होगा।
- भाव पत्र में किसी भी सामग्री के दो भाव नहीं लिखे जायेंगे।

  
भण्डार लिपिक

  
(डॉ.राजू सपकाले)

प्राचार्य

पं.ज.नेहरू शास. महाविद्यालय  
नेपालगर



क्रमांक : 1173 / 2022

नेपानगर, दिनांक 30 / 08 / 2022

**:: विज्ञप्ति ::**

सत्र 2022-23 में जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रयोगशाला तकनीशियन सह कम्प्यूटर आपरेटर एवं सहायक ग्रन्थपाल के संयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ सार्द कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना आवेदन मय सत्यापित दस्तावेजों के साथ विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से 10 दिवस तक महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करें।

क्रं.	आवेदित पद एवं विषय	संख्या	न्यूनतम योग्यता
1	कम्प्यूटर प्रयोगशाला तकनीशियन सह कम्प्यूटर आपरेटर	01	बीसीए/बीएससी कम्प्यूटर साईंस/ पीजीडीसीए एवं सी.पी.सी.टी. वांछनीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टाईपिंग में दक्षता)
2	सहायक ग्रन्थपाल	01	बी. लिब. एवं कम्प्यूटर संबंधी कार्य में दक्षता

1. सभी आवेदन प्राचार्य एवं सचिव जनभागीदारी समिति पं0जवाहरलाल नेहरू शासकीय महाविद्यालय नेपानगर के नाम से प्रेषित किये जाये।
2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने के 10 दिवस तक रहेगी।
3. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त माना जावेगा।
4. प्रयोगशाला तकनीशियन एवं सहायक ग्रन्थपाल का पारिश्रमिक रू. 7,000/- प्रतिमाह होगा।
5. चयन प्रक्रिया आयुक्त उच्च शिक्षा के परिपत्र के अनुसार होगी जो उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन के नियमानुसार होगी।
6. उपर्युक्त पद एवं कार्य पूर्णतः अस्थाई है तथा कभी भी बिना सूचना के सचिव/प्राचार्य द्वारा कार्य सम्पादित कराना बंद किया जा सकता है।
7. उपर्युक्त पदों में चयनित प्रयोगशाला तकनीशियन एवं सहायक ग्रन्थपाल किसी भी हेसियत से महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जायेंगे तथा वे लोकसेवक की निहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
8. विज्ञापन पदों में कमी और वृद्धि का अधिकार प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति के पास रहेगा।
9. प्रयोगशाला तकनीशियन एवं सहायक ग्रन्थपाल की चयन प्रक्रिया मेरिट एवं अनुभव के आधार पर होगी।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमिलियर को छोड़कर) को म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप अधिभार दिया जावेगा।
11. प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

प्राचार्य/सचिव

जनभागीदारी समिति

पं.जवाहरलालनेहरू शासकीय महाविद्यालय  
नेपानगर, जिला-बुरहानपुर (म0प्र0)